10 रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

113

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प, सागर (म.प्र.)

- -

निग- 194 - II - 16

श्री ... द्वारा आज दि. 19-1-16 को प्रस्तुत
19-1-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. यशवंत यादव उम्र 33 वर्ष वल्द श्री किशनलाल यादव,
पेशा काश्तकारी

2. रमेश यादव उम्र 40 वर्ष वल्द श्री गणेश यादव, पेशा-
पशुपालन (दूध विक्रय)

3. दयालु यादव उम्र 45 वर्ष वल्द श्री भगवानदास यादव,
पेशा पशुपालन (दूध विक्रय)

4. मोहनलाल यादव उम्र 53 वर्ष वल्द श्री प्यारेलाल यादव,
पेशा पशुपालन (दूध विक्रय)

सभी निवासी ग्राम पथरिया रैय्यतवारी तहसील व जिला सागर
सभी द्वारा उनके अधिवक्ता आर.एम. पाण्डेय, एड. सागर म.प्र.

...पुनरीक्षणकर्तागण

// विरुद्ध //

1. राधेश्याम पटेल वल्द स्व. लल्लूभाई पटेल निवासी
राधेश्याम भवन, सागर तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

2. शिवचरण शुक्ला वल्द श्री शिवकुमार शुक्ला साकिन-
नयाबाजार, सागर तहसील वा जिला सागर (म.प्र.)

3. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जी सागर (म.प्र.)

...उत्तरदातागण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959.

- -

याचिकाकारगण श्रीमान कमिश्नर सागर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक-

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग/194/III/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-2-16	1— अनावेदक की ओर से अधिवक्ता दिवाकर दीक्षित उपस्थित उनके आवेदन पर उभय पक्षों के तर्क श्रवण किये गये। 2— यह निगरानी आुक्त सागर के प्रकरण क्रमांक 121/अ—70 वर्ष 12—13 में पारित आदेश दिनांक 20/08/2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। 3— अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया हे कि आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण का निराकरण दिनांक 20/04/2015 को उभयपक्षों की उपस्थिति में किया गया हे। जिसकी जानकारी आवेदकगणों को है। उन्हीं के द्वारा आयुक्त सागर के समक्ष अपील एवं निगरानी प्रस्तुत की गई थी। आदेश दिनांक 20/08/2013 के विरूद्ध तथ्य छुपाते हुये यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा षष्टम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 (आशीष श्रीवास्तव) आदेश दिनांक 06/01/2015 की प्रति प्रस्तुत करते हुये इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई निगरानी इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का अनुरोध किया है। 4— अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद एवं आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20./04/2015 के परिपेक्ष्य में आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/08/2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई निगरानी प्रचलन योग्य न होने एवं अवधि बाह्य होने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। सदस्य	